Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अमृता मौर्या *

* 641, रेलवे कॉलोनी, झाँसी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'भारत में राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो (छउठइ) के अनुसार किशोरों (18 वर्ष से कम) द्वारा किये गये अपराधों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में कुल 34,878 मामले दर्ज किये गये थे और 42,633 किशोरों को पकड़ा गया था।'[1]

पकड़े गये किशोरों में अधिकांश (लगभग 77.7%) किशोर 16–18 वर्ष की आयु के होते हैं।'[2]

'एनसीआरबी (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार किशोर अपराधों के मामलों में लगभग 11.2% की बढ़ोत्तरी हुई है।'[3]

'भारत में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या देश के कुल दर्ज अपराधों का लगभग 1 से 1.2% ही है।'[4]

NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,175 मामले 2024 में किशोर अपराध के दर्ज किये गये थे जबकि 2023 में इन मामलों की संख्या 1575 थी। इस प्रकार किशोर अपराध के मामले 2023 की तुलना में 25.4% कम दर्ज हुए। राज्य में किशोर अपराध की दर 1.4 प्रति लाख आबादी है जो राष्ट्रीय औसत से कम है।

'युवाओं के बीच आम अपराधों में स्कूल से अनुपस्थित रहना, चोरी, डकैती और अन्य संपत्ति संबंधी अपराध शामिल हैं। शोध से पता चलता है कि गरीबी, माता पिता की खराब देखरेख, स्कूल छोड़ना और साथियों का दबाव जैसे कारक आपराधिक व्यवहार में योगदान करते हैं।'[5]

किशोर अपराधियों को जो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं जेल में रखने के बजाय किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष पेश किया जाता है। उनके सुधार और पुर्न:वास हेतु राज्य में बाल कल्याण गृह स्थापित किये गये हैं। यहाँ बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। किशोरों को चोरी, सार्वजनिक उपद्रव जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। गंभीर चोट पहुँचाने, धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर अपराध करने पर 3–7 साल की सजा दी जा सकती है तथा हत्या व बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने पर 7 साल या उससे भी अधिक सजा दी जा सकती है।

सामान्यत: किशोरों द्वारा किये जाने वाले अपराधों को चार प्रकारों में बांटा गया है– व्यक्तिगत, समूह समर्थित, संगठित और परिस्थिति जन्य अपराध। व्यक्तिगत अपराध का तात्पर्य उस स्थिति से है जब कोई बच्चा पारिवारिक समस्याओं के कारण अपराध करता है। समूह समर्थित अपराध तब होता है जब कई बच्चे एक साथ मिलकर अपने पड़ौस में अपराध करते हैं।

संगठित अपराध आपराधिक गिरोहों द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जाता है। उदा. मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों का व्यापार आदि।'[6]

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मैंने कार्यशील व घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के स्वरूपों को ज्ञात करने के लिये अपने शोध का विषय– 'कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन' चुना है।

उद्देश्य :

1. कार्यशील माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों के स्वरूप का अध्ययन करना।
2. घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों के स्वरूप का अध्ययन करना।
3. कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना – 'कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों के स्वरूप में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।'

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं के किशोर अपराधियों के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए ललितपुर शहर (उत्तरप्रदेश) के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) से 80 कामकाजी व 70 घरेलू महिलाओं के किशोर अपराधियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। किशोर अपराधियों से साक्षात्कार भी किया गया है। तथ्यों का संकलन करने के उपरांत उनका वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण के दौरान पूर्ण तटस्थता के साथ शोधकार्य सम्पन्न किया है। कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूप के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शून्य परिकल्पना निर्मित की गई है जिसका सत्यापन टी–टेस्ट के द्वारा करने के उपरांत ही निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन

तालिका क्रमांक – 1: कार्यशील माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों का स्वरूप

स्वरूप	N	अपराधी किशोरों की सहमति					
		सहमत		आंशिक सहमत		असहमत	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
बसों, ट्रनों में छेड़खानी करना	80	38	47.50	05	6.25	37	46.25
पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करना	80	43	55.75	07	8.75	30	37.50
भीड़ में पीड़िता के अंगों को स्पर्श करना	80	30	37.50	08	10.00	42	52.50
पीड़िता से जबरदस्ती संभोग करना	80	30	37.50	10	12.50	40	50.00

तालिका क्रमांक – 1 में कार्यशील महिलाओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूप संबंधी सममति/असहमति के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। तालिका दर्शाती है कि 38(47.50%) किशोर अपराधियों ने बसों, ट्रनों में छेड़खानी करना स्वीकार किया है। 05(6.25%) ने बसों व ट्रेनों में छेड़खानी के संबंध में आंशिक सहमति व्यक्त की है। 37(46.25%) ने बसों व ट्रेनों में छेड़खानी करना स्वीकार नहीं किया है।

पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करने के संबंध में 43(53.75%) किशोर अपराधियों ने सहमति व्यक्त की है। 07(8.75%) ने आंशिक सहमति दी है तथा 30(37.50%) किशोर अपराधियों ने पीड़िता के प्रति गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करने के लिए असहमति व्यक्त की है।

भीड़ में पीड़िता के संवेदनशील अंगों को किशोर अपराधियों द्वारा स्पर्श करने के संबंध में 30(37.50%) ने सहमति व्यक्त की है जबकि 8(10.0%) ने आंशिक सहमति व्यक्त की है। 42(52.50%) ने पीड़िता के संवेदनशील अंगों को स्पर्श करना अस्वीकार किया है।

तालिका दर्शाती है कि 30(37.50%) किशोर अपराधियों ने पीड़िता से जबरदस्ती संभोग करने के संबंध में सहमति व्यक्त की है। 10(12.50%) ने आंशिक सहमति व्यक्त की है जबकि 40(50.0%) ने असहमति व्यक्त की है।

तालिका क्रमांक – 2: घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों का स्वरूप

स्वरूप	N	अपराधी किशोरों की सहमति					
		सहमत		आंशिक सहमत		असहमत	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
बसों, ट्रनों में छेड़खानी करना	70	30	42.85	05	7.14	35	50.00
पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करना	70	39	55.71	03	4.28	28	40.00
भीड़ में पीड़िता के अंगों को स्पर्श करना	70	39	55.71	04	5.71	27	38.57
पीड़िता से जबरदस्ती संभोग करना	70	40	57.14	08	11.42	22	31.42

तालिका क्रमांक – 2 में घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया है। तालिका दर्शाती है कि 30(42.85%) किशोर अपराधियों ने बसों, ट्रेनों में छेड़खानी करने के संबंध में सहमति दी है, 5(7.14%) ने आंशिक सहमति दी है जबकि 35(50.0%) ने असहमति व्यक्त की है।

पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करने के बारे में 39(55.71%) ने सहमति दी है, 3(4.28%) ने आंशिक सहमति दी है जबकि 28(40.0%) ने असहमति व्यक्त की है।

भीड़ में पीड़िता के संवेदनशील अंगों को स्पर्श करने संबंधी प्रश्न के उत्तर में 39(55.71%) किशोर अपराधियों ने सहमति व्यक्त की है। 4(5.71%) ने आंशिक सहमति दी है, जबकि 27(38.57%) ने असहमति व्यक्त की है।

पीड़िता के साथ जबरदस्ती संभोग करने के संबंध में 40(57.14%) ने सहमति व्यक्त की है। 8(11.42%) ने आंशिक सहमति दी है जबकि 22(31.42%) ने असहमति व्यक्त की है।

तालिका क्रमांक–3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक – 3 में कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूपों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। तालिका दर्शाती है कि कार्यशील माताओं के किशोर अपराधियों में 38(25.33%) ने बसों, ट्रेनों में छेड़खानी करने संबंधी, 43(28.66%) ने पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करने के संबंध में, 30(20.0%) ने भीड़ में पीड़िता के अंगों को स्पर्श करने के संबंध में तथा 30(20.0%) ने पीड़िता से जबरदस्ती संभोग करने संबंधी प्रश्नों के उत्तर में सहमति प्रदान की है। घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों ने बसों, ट्रेनों में छेड़खानी करने के संबंध में 30(20.20%), पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करने के संबंध में 43(20.0%) तथा पीड़िता से जबरदस्ती संभोग करने के संबंध में 30(20.0%) ने सहमति व्यक्त की है।

सहमति व्यक्त करने वाले किशोर अपराधियों की तुलनात्मक विवेचना करने से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाओं के किशोरों का प्रतिशत बसों, ट्रेनों में छेड़खानी करने तथा पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करने में घरेलू महिलाओं के किशोर अपराधियों की तुलना में मामूली अधिक है। भीड़ में पीड़िता के अंगों को स्पर्श करने तथा पीड़िता के साथ जबरदस्ती संभोग करने संबंधी प्रश्नों के उत्तर में सहमति व्यक्त करने वाले किशोर अपराधियों में घरेलू महिलाओं के किशोरों की संख्या कार्यशील महिलाओं के किशोरों की तुलना में मामूली अधिक है।

तालिका क्रमांक – 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक – 4 में अपराधी किशोरों के अपराध के स्वरूप के स्तर के आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका दर्शाती है कि 65(43.33%) अपराधी किशोरों के स्वरूप का स्तर उच्च पाया गया है क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी इनमें 37(24.66%) किशोर कार्यशील माताओं के तथा 28(18.66%) घरेलू माताओं के हैं। 13(08.66%) अपराधी किशोरों के स्वरूप का स्तर मध्यम पाया गया क्योंकि उनका स्वरूप का स्तर अनिश्चित था जिसमें 08(05.33%) किशोर कार्यशील माताओं के तथा 05(03.33%) किशोर घरेलू माताओं के हैं। 72(48.00%) किशोरों का निम्न स्तर का स्वरूप पाया गया क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक थी इनमें 35(23.33%) किशोर कार्यशील माताओं के तथा 37(24.66%) किशोर घरेलू माताओं के हैं।

तालिका क्रमांक – 5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक – 5 में कार्यशील एवं घरेलू माताओं के अपराधी किशोरों के अपराध के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निर्मित की गई शून्य परिकल्पना – 'कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूप में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा' के सत्यापन हेतु प्रयुक्त टी–टेस्ट संबंधी आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्यशील माताओं के अपराधी किशोरों के स्वरूप का मध्यमान 1.96 है तथा घरेलू माताओं के अपराधी किशोरों के स्वरूप का मध्यमान 2.13 है। टी–परीक्षण का परिगणित मूल्य 148 स्वतत्र्यांश पर 1.0557 है जो कि 0.05 स्तर पर असार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। इससे सिद्ध होता है कि कार्यशील माताओं एवं घरेलू माताओं के अपराधी किशोरों के अपराध के स्वरूप में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। दोनों प्रकार की माताओं के अपराधी किशोरों के अपराध के स्वरूप लगभग मिलते–जुलते पाए गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के स्वरूपों पर माता के कार्यशील या घरेलू होने का प्रभाव नहीं पाया गया।

निष्कर्ष – कार्यशील एवं घरेलू महिलाओं के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूपों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। दोनों के किशोरों के अपराधों का स्वरूप लगभग मिलता–जुलता ही पाया गया है।

सीमाएँ एवं सुझाव:

1. प्रसस्तुत शोध ललितपुर शहर तक सीमित है इसे व्यापक स्तर पर किया जा सकता है।
2. इस अध्ययन में किशोरों के व्यक्तिगत अपराधों का अध्ययन किया गया है। गिरोहों द्वारा किये गये अपराधों का अध्ययन किया जा सकता है।
3. किशोर अपराधियों की मानसिकता पर शोध अध्ययन किया जा सकता है।
4. किशोर अपराधियों के पर्यावरण का अध्ययन नहीं किया गया है। उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1-4. Centre for Development
5. https://en.wikipedia.org
6. https://www.alatsaslawfirm.com
7. https://uppolice.gov.in

तालिका क्रमांक–3: कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों की प्रकृति की तुलनात्मक तालिका

स्वरूप	N	कार्यशील माताओं के अपराधी किशोर						घरेलू माताओं अपराधी के किशोर					
		सहमत		आंशिक सहमत		असहमत		सहमत आंशिक सहमत				असहमत	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
बसों, ट्रनों में छेड़खानी करना	150	38	25.33	05	3.33	37	24.66	30	20.00	05	3.33	35	23.33
पीड़िता के लिये गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करना	150	43	28.66	07	4.66	30	20.00	39	26.00	03	2.00	28	18.66
भीड़ में पीड़िता के अंगों को स्पर्श करना	150	30	20.00	08	5.33	42	28.00	39	26.00	04	2.66	27	18.00
पीड़िता से जबरदस्ती संभोग करना	150	30	20.00	10	6.66	40	26.66	40	26.66	08	5.33	22	14.66

तालिका क्रमांक – 4: कार्यशील एवं घरेलू माताओं के किशोर अपराधियों के अपराधों के स्वरूप का स्तर

किशोर	उच्च		मध्यम		निम्न		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कार्यशील माताओं के किशोर	37	24.66	08	05.33	35	23.33	80	53.33
घरेलू माताओं के किशोर	28	18.66	05	03.33	37	24.66	70	46.66
योग	65	43.33	13	08.66	72	48.00	150	100.0

तालिका क्रमांक – 5 : कार्यशील एवं घरेलू माताओं के अपराधी किशोरों के अपराध के स्वरुप के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण तालिका

विकल्प	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	स्वतंत्र्यांश	'टी' परीक्षण का मूल्य	सार्थकता स्तर
कार्यशील माताओं के अपराधी किशोर(N=80)	1.96	0.96	148	1.0557	p>0.05
घरेलू माताओं के अपराधी किशोर(N=70)	2.13	0.95			

*0.05 स्तर पर सार्थक

****